[13/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 481]

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 135 / एफ 5 / 1 / 01 / 00216 / 2024 / 55—1 भोपाल,दिनांक 30 / 01 / 2025

प्रति,

आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
म.प्र. भोपाल।

विषयः— विधान सभा सत्र दिसम्बर, 2024 में प्राप्त तारांकित प्रश्न क्रमांक 1618 द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला, माननीय सदस्य विधानसभा के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक सी—3 / विधानसभा / 2024 / 2188, दिनांक 07.12.2024।

=00=

विधान सभा दिसम्बर, 2024 में प्राप्त तारांकित प्रश्न क्रमांक 1618 द्वारा श्री राजेश कुमार शुक्ला, माननीय सदस्य विधानसभा की जानकारी संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गई थी जो अस्पष्ट थी जिस कारण विधानसभा को प्रश्नांश क, ख, ग, घ ड. एवं न की जानकारी एकत्रित की जा रही है में प्रेषित की गई थी।

अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 1618 की पूर्ण जानकारी तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। जिससे की समय—सीमा में जानकारी विधानसभा सचिवालय को भेजी जा सके।

27·01·2025

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न
सत्र - दिसम्बर,2024

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **09/12/2024**

वर्ग : 3 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **18/12/2024** विभाग का नाम : **लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा**

विषय : **शैक्षणिक कार्य हेतु पदस्थ रीडर से गैर शैक्षणिक कार्य करवाने के संबंध में।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1618**) **श्रीराजेश कुमार शुक्ला**

क्या **उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क)संस्थान में पदपूर्ति विज्ञप्ति सूचना में तय नियमो को अंतिम तिथि उपरांत संशोधित किया जा सकता है? हाँ तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है। (ख)प्रशनांश "क" हाँ है तो शा.स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की विज्ञप्ति सूचना क्र/313/स्थापना/विज्ञप्ति/2024इंदौर25.01.24 में तय प्रोराटा में संशोधन हेतु सभी प्रक्रियाओं एवं अनुमतियॉं ली गई, हाँ तो सभी की छायाप्रतियॉं प्रदाय करें। यह संशोधन क्यो एवं किसके आदेश से किया गया। (ग)प्रशनांश "क" नही है तो प्रशनांश 'ख' की विज्ञप्ति के प्रोराटा में संशोधन क्यों हुआ। (घ)शा.स्वशासी दंतचिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की विज्ञप्ति सूचना क्र/313/स्थापना/विज्ञप्ति/2024इंदौर25.01.24 में कितने आवेदन प्राप्त हुए। प्रत्येक आवेदक ने कितने दिनों तक संस्थान में शैक्षणिक कार्य किया, कितने दिनों तक अन्य संस्था में गैर शैक्षणिक कार्य किया। अन्य संस्था में गैर शैक्षणिक कार्य किसके आदेश से किया गया। (ड) ऐसे आवेदक भी है जो नियुक्ति तिथि के कुछ माह उपरांत शैक्षणिक कार्य को छोडकर अन्यंत्र संस्था में गैरशैक्षणिक कार्य हेतु संलग्न किया गया है। यदि हाँ तो ऐसे अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करते समय डेंटल कौसिल ऑफ इंडिया के नियम का पालन किया गया? हाँ तो कैसे। (न) दंतचिकित्सा महाविद्यालय इंदौर मे शैक्षिक कार्यों हेतु नियुक्त रीडर से आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय मे गैरशैक्षणिक कार्य करवाने से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है? नहीं तो कैसे? हाँ तो मूल संस्थान कब मुक्त होंगे।

उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा :

(क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रश्नांश जिसका उत्तर अपेक्षित है । : पूर्ण जानकारी

Sent From : Vidhan Sabha | **Sent Date :** 02/01/2025 05:48:31 | **Target Date :**	
Remarks :	

Replied By : PUBLIC HEALTH & FAMILY WELFARE | Reply Date On : **28/02/2025 04:43:32 PM** | Status: Final (Sent From : **Vidhan Sabha** | Sent Date : **02/01/2025 05:48:31 PM**)

Answer : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एकरूपता की दृष्टि से विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.2022 एवं 19.05.2023 को अधिक्रमित करते हुये अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापको के रिक्त पदों की पूति हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55, भोपाल, दिनांक 24.07.2024 जारी किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** । (घ) 02 आवेदन प्राप्त हुये। आवेदक 01 ने नियुक्ति दिनांक 28.02.2019 से प्रश्न दिनांक तक संस्थान में शैक्षणिक कार्य किया, आवेदक 02 ने नियुक्ति दिनांक 28.02.2019 से दिनांक 05.09.2019 एवं दिनांक 21.09.2020 से 14.06.2022 (कुल 02 वर्ष 03 माह) संस्थान में शैक्षणिक कार्य किया, व 06.09.2019 से 21.09.2020 तथा 14.06.2022 से प्रश्न दिनांक (कुल 3 वर्ष 6 माह) तक संचालनालय चिकित्सा शिक्षा में गैर शैक्षणिक कार्य किया गया। आवेदक 02 द्वारा अन्य संस्थाओं में कुल 06 वर्ष 09 माह शैक्षणिक कार्य किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार।** (ड.) संचालनालय में कार्य करने हेतु आदेश दिनांक 05.09.2019, 21.10.2020 एवं 14.06.2022 द्वारा आदेशित किया गया। जी हाँ। ऐसे अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अनुभव की गणना उनके द्वारा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में किये गये कार्य के आधार पर डेन्टल कौंसिल ऑफ इंडिया के मापदण्डानुसार, जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार**। (न) जी नहीं। महाविद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक दन्त चिकित्सकों द्वारा छात्रों की पढ़ाई का कार्य किया जाता है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आपका उत्तर Digital Sign नहीं हैं अतः उत्तर को Digital Sign करें तभी उत्तर विधान सभा पहुचेगा ...!!